APP-A
Crim-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी आहोर

थानसिंह पुत्र [illegible] बनाम गोपीलाल पुत्र पूनीलाल, प्रेमचन्द [illegible] राजपूत सा० चाली सा० चाली

किस्म मुकदमा राज० भू०अधि० 1955 धारा 251 A 184 / 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.06.2017	प्रार्थी द्वारा विरुद्ध अप्रार्थीगण के खिलाफ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा राज० भू०अधि० 1955 की धारा 251 A के तहत प्रस्तुत किया। जो दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण जारी सम्मन तलब होकर पत्रावली आइन्दा दिनांक 26/07/2017 को पेश हो। [signature] 21/6/17 सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) आहोर (जिला-जालोर)	
26-7-17	पक्षकारान हाजिर। श्रीमान S.D.O साहब दौरे पर पधारे हुए हैं अतः पत्रावली आइन्दा दिनांक 29-9-17 को पेश हो। [signature]	
29-9-17	पक्षकारान हाजिर। [illegible] पत्रावली आइन्दा दिनांक 2-11-17 को पेश हो। [signature]	

का अवलोकन किया गया जिसके अप्रार्थी मीठालाल पुत्र शंकरलाल, खुमाराम पुत्र गणेशाराम, गोपाराम पुत्र भरत के नोटिस तामिल हुआ प्राप्त होने बाद भी वजह अप्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में ली गई है तथा पूर्व पेशी पर मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है अतः पत्रावली मुकर्रर तारीख पेशी पर बहस हेतु पेश हो।

9-10-19 पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील से बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 24-10-2019 को वास्ते आदेश हेतु पेश हो।

24-10-19 पत्रावली आज पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महो० राजकार्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली वास्ते दिनांक 22-11-19 को पेश हो।

22-11-19 पत्रावली आज पेश हुई। सावेका आदेश दिनांक 9-10-19 की पालना में पत्रावली वास्ते दिनांक 12-12-19 को पेश हो।

12-12-19 पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली वास्ते दिनांक 30-12-2019 को वास्ते आदेश हेतु पेश हो।

30-12-19 पत्रावली आज पेश हुई। निर्णय पृथक से तैयार कर पत्रावली शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आहोर, जिला जालोर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— श्री प्रशान्त शर्मा RAS

राजस्व प्रार्थना पत्र : 184 / 2016

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
शैतानसिंह पुत्र श्री भवानीसिंहजी, जाति राजपूत, निवासी चरली		गोपीया पुत्र श्री पुनीया वगैरा जाति मेघवाल, निवासी चरली

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :— **श्री मांगीलाल चौधरी वकील वादी**

तहसीलदार आहोर प्रतिवादी संख्या 15

निर्णय

दिनांक :— 30 / 12 / 2019

यह राजस्व प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 1955 की 251 —क तहत् पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी मौजा चरली तहसील आहोर जिला जालोर के खसरा नम्बर 837 प्रार्थी की कब्जा काश्त की राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जिसमें आने जाने का वर्तमान में कोई रास्ता उपलब्ध नही है, प्रार्थी की कब्जाकाश्त आराजी की जोत में भी दर्ज करवाने का आदेश प्रदान करावें। नियमानुसार जो राजकीय राशि होगी वह अदा कर दं जावेगी। अतः रास्ते की सुविधा हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा संशोधित 251—क की उपधारा (1) के तहत् प्रार्थना पत्र पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
आहोर (जालोर)

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने हेतु नोटिसेज जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से नोटिस तामील होने के बावजुद भी उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे ली गई,एवं भू.अ. निरिक्षक गुडा बालोतान द्वारा रिपोर्ट मय मौका फर्द, नक्शा ट्रेस पेश करने पर दिनांक 15/05/2019 को शामिल पत्रावली की गई। जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा चरली के खसरा नम्बर 837 के खातेदार को रास्ता उपलब्ध करवाये जाने हेतु खसरा नम्बर 854 मे से 6 मीटर चौडा एवं 60 मीटर लम्बा खसरा नम्बर 855 मे से 6 मीटर चौडा एवं 80 मीटर लम्बा रास्ता जिसका कुल क्षैत्रफल 840 वर्गमीटर बनता है वह रास्ता लघुत्तम दूरी पर होने से एवं निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 856 से जुडता होने से प्रस्तावित किया गया है। जिसकी मालियत वर्तमान डीएलसी दर पर उप पंजीयक आहोर की रिपोर्ट अनुसार 840 वर्गमीटर के रूपये 42993/– बनती है।

उपस्थित उभर पक्षो की विस्तृत बहस सुनी गई। जिसमें प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ईबारत को दोहराते हुए अपनी खातेदारी आराजी में आने–जाने हेतु निकटतम व सुलभ रास्ता उपलब्ध करवाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज करावें जिसकी नियमानुसार जो राजकीय राशि होगी वह अदा कर दी जावेगी। तहसीलदार आहोर द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट को अंतिम व सही होना स्वीकार कर प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 837 में जाने हेतु नजदीक व सुलभ रास्ता की अत्यन्तिक आवश्यकता होने से नियमानुसार राजकीय राशि अदा करने पर नजदीकी रास्ता खसरा नम्बर 854 मे से 6 मीटर चौडा एवं 60 मीटर लम्बा खसरा नम्बर 855 मे से 6 मीटर चौडा एवं 80 मीटर लम्बा रास्ता जिसका कुल क्षैत्रफल 840 वर्गमीटर रास्ता दिया जाना उचित बताया है।

उपखण्ड अधिकारी
आहोर (जालोर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र भू अभिलेख निरीक्षक गुडा बालोतान की रिपोर्ट मय मौका फर्द, नक्शा ट्रेस व अन्य संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन कर उभय पक्षों की बहस पर मनन किया । जिसमें प्रस्ताविक भूमि मौजा चरली के खेत खसरा नम्बर 837 में जाने हेतु खसरा नम्बर 854 व 855 में से हो कर जो नजदीक व गै. मु. रास्ता खसरा नम्बर 856 से मिलता है में आने जाने हेतु प्रार्थी को रास्ते की अत्यन्तिक आवश्यकता है। यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है ओर खातेदार के जोत में से हो कर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है।

आदेश

अतः मौजा चरली के खसरा नम्बर 837 आने जाने हेतु खेत खसरा नम्बर 854 मे से 6 मीटर चौडा एवं 60 मीटर लम्बा खसरा नम्बर 855 मे से 6 मीटर चौडा एवं 80 मीटर लम्बा रास्ता जिसका कुल क्षैत्रफल 840 वर्गमीटर भूमि नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित अनुसार खसरा नम्बर 854 व 855 मे से कम की जा कर सार्वजनिक रास्ते के लिए स्वीकृत की जाती है। प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार 42993/– अक्षरे बयालीस हजार नौ सौ तिरानबे रूपये मात्र मालियत बनती है।

उपखण्ड अधिकारी आहोर

खातेदारी खेत खसरा नम्बर 837 के खातेदार शैतानसिंह पुत्र श्री भवानीसिंहजी, जाति राजपूत, निवासी चरली देह. खातेदार को उनके खेत में जाने हेतु रास्ते के लिए स्वीकृत भूमि 840 वर्गमीटर की दो गुना मालियत राशि 85986 /– अक्षरे पचासी हजार नौ सौ

उपखण्ड अधिकारी
आहोर (जालोर)

Scanned by CamScanner

छियासी रूपये मात्र का बैंकर चैक/डीडी बनवाकर तहसीलदार आहोर के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार आहोर बैंकर चैक/ डीडी का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 854 के समस्त वाजिब खातेदारान् गणेशाराम, सूजाराम पिता चुनीया, मीरा पत्नि चुनीया, गोपाराम, भरत, फुलाराम, कैलाश पिता सकाराम कौम सरगरा, निवासी चरली, व खसरा नम्बर 855 के समस्त वाजिब खातेदारान् शकंरलाल पुत्र परखाराम कौम मेघवाल, सा. देहखातेदार नियमानुसार भुगतान / निस्तारण करने के पश्चात राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में मौजा चरली पटवार मण्डल चरली के खसरा नम्बर 854 रकबा 1.39 हैक्टर मे से 360 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 855 रकबा 3.21 हैक्टर मे से 480 वर्गमीटर कुल रकबा 840 वर्गमीटर भूमि नक्शा ट्रेस में मार्क ABC अनुसार भूमि कम की जा कर किस्म गै. मु. रास्ता श्री सरकार बिलानाम खाते में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। प्रस्तावित भूमि का नक्शा ट्रेस इस निर्णय का भाग रहेगा ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रशान्त शर्मा RAS)
उपखण्ड अधिकारी
आहोर (जालोर)

Scanned by CamScanner